अमेरिका पर अतरिक्ति शुल्क का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत द्वारा 28 अमेरिकी सामानों पर लगाए गए अतरिक्ति सीमा शुल्क काअमेरिका ने वशि्व व्यापार संगठन में वरिोध किया है।

प्रमुख बदिु

- पिछले वर्ष भारत से आयातति स्टील और एल्युमीनियिम पर अमेरिका द्वारा लगाए गए एकतरफा अतरिक्ति शुल्क के वरिोध में भारत द्वारा लगाए गए इस अतरिक्ति सीमा शुल्क को अमेरिका वशि्व व्यापार संगठन के नियिमों का उल्लंघन मानता है।
- अमेरिका ने दावा किया है कि जो अतरिक्ति शुल्क, भारत ने जून 2018 और जून 2019 के बीच जारी की गई अधसिूचनाओं की शृंखला के माध्यम से लगाया है, यह वशि्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) के प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते(General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) के प्रावधानों से असंगत है।
- भारत का तर्क है कि सुरक्षा उपायों परवशि्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत उसे जबाबी कार्यवाही की अनुमति है।
- अमेरिका का कहना है कि उसके द्वारा लगाए गए टैरिफ सुरक्षात्मक उपाय नहीं हैं, बल्कि ये अमेरिकी व्यापार वस्तिार अधनियिम 1962 (US Trade Expansion Act, 1962) की धारा 232 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र लगाए गए थे।
- यदि दो देशों के बीच ववािद का समाधान परामर्श के माध्यम से नहीं हो पाता है तो अमेरिका WTO को इस संबंध में नरि्णय लेने हेतु एक पैनल गठति करने के लिये कह सकता है।

और पढें

स्रोत: द हदिू बज़िनेस लाइन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/us-trade-expansion-act-of-1962